

New enhancement allows downloading E-Way bills for one month period in one go

- The facility was earlier available for the period of 5-days interval.
- User can download E-way bill using the Reports tab in E-way bill portal
- The facility is aimed to provide relief to taxpayers and transporters

New Delhi, 18th September 2020: E-way bill, a document, which is generated for the movement of goods, can now be downloaded for the last one month period with a single click. This facility has been made available on the [Eway bill portal](#) run by National Informatics Centre (NIC). Till recently, the taxpayers or transporters could download e-waybills generated by them for a limited period of 5-days interval. This was causing hardship as the taxpayers had to download the e-waybills multiple times in a month. Suggestions were received from taxpayers to increase the number of days for which E-way bills could be downloaded.


Keeping in view the demand of taxpayers, the system has been enhanced to enable the download of e-waybills for a longer period, that is, for one month. Taxpayers can now make use of this facility to download the e-waybills in excel format and use in their systems. This facility is presently available daily between 8 AM to 12 noon so as to ensure that performance of the e-way system is not impacted for regular activities of the e-way bill system.

Transporters can continue using the same path as they were doing before for downloading of E-way bills, i.e.

Visit E-way bill portal (<https://ewaybillgst.gov.in/>) >> [Fill login credentials](#) >> [Go the Reports tab](#) >> Download E-way bills from [My E-way bill Report](#).

E-way bill is required to be generated by a registered GST taxpayer for the movement of goods if the value of the consignment is more than Rs. 50,000 for inter-state movement. For intra-state movement, limits vary from state to state.

E-Way bill generations over the months in 2020 (up to 13th Sep 2020)



It is notable that the e-waybill system has been running smoothly from April 2018 and generating 5+ Crores of e-waybills on monthly average. The lockdown period between April-May 2020 saw a major slump in the e-waybills generation indicating non-movement of goods. However, from the month of June-2020 the number of e-waybills is gradually picking up and it has reached the normal number of e-way bill generation during this month.

नई सुविधा से एक बार में एक माह की अवधि तक के E-Way बिल डाउनलोड करना संभव

- पहले एक बार में 5 दिन तक के ई-वे बिल ही डाउनलोड कर सकते थे
- उपभोक्ता ई-वेबिल पोर्टल पर रिपोर्ट्स टैब से ई-वेबिल डाउनलोड कर सकते हैं
- इस सुविधा का उद्देश्य टैक्सपेयरो और ट्रांसपोर्टरो को लाभ पहुँचाना है

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2020: अब पिछले एक माह की अवधि तक के ई-वेबिल्स (एक डॉक्यूमेंट जो कि माल के आवागमन के लिए जेनेरेट किया जाता है) केवल एक क्लिक पर डाउनलोड किये जा सकते हैं। यह सुविधा ई-वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संचालित की जाती है। इससे पहले, करदाताओं और ट्रांसपोर्टरो को एक बार में 5 दिन की सीमित अवधि के ही ई-वे बिल डाउनलोड करने की सुविधा थी। इस कारण उन्हें कई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं। चूँकि करदाताओं को एक महीने में कई बार ई-वे बिल डाउनलोड करना होता है, इसलिए कई करदाताओं ने ई-वे बिल डाउनलोड करने के लिए समयावधि को बढ़ाने की सलाह दी थी।


करदाताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को बेहतर किया गया है, जिसके बाद अब वे एक बार में एक महीने तक का ई-वे बिल डाउनलोड कर सकेंगे। करदाता ई-वे बिल को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा वर्तमान में रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध होगी जिससे ई-वे प्रणाली पर अपने अन्य दैनिक कार्यों के वहन के दौरान दबाव न पड़े।

ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल्स डाउनलोड करने के लिए उसी पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो पहले किया करते थे। ई-वे बिल पोर्टल पर जायें

(<https://ewaybillgst.gov.in/>)>>लॉग इन क्रेडेन्शियल्स भरें>>रिपोर्ट्स टैब पर जायें>>माई ई-वेबिल रिपोर्ट से ई-वे बिल डाउनलोड करें।

अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए, अगर वस्तुओं का मूल्य 50,000 रुपयों से अधिक है, तो ई-वे बिल जेनेरेट करना एक पंजीकृत जीएसटी करदाता के लिए ज़रूरी है। एक ही राज्य में माल के आवागमन के लिए यह सीमा राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती है।

साल 2020 के महीनों में हुई ई-वे बिल उत्पत्ति (13 सितम्बर 2020 तक)



गौरतलब है कि ई-वे बिल प्रणाली अप्रैल 2018 से सुचारू रूप से सेवा में है और प्रति माह 5 करोड़ से अधिक की दर से ई-वे बिल जेनेरेट हो रहे हैं। अप्रैल-मई 2020 के माह में हुए लॉकडाउन के दौरान ई-वे बिल्स जेनेरेशन में भारी गिरावट दर्ज की गयी थी जो कि वस्तुओं की आवाजाही में आई कमी को दर्शाता है। परन्तु, जून-2020 से ई-वे बिल जेनेरेशन की संख्या में एक निरंतर बढ़त देखी गयी जिससे इस महीने यह वापस अपने सामान्य दर पर पहुँच गयी है।